न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—188/2015/223 (2015/00224)

1. सुरज्ञान पुत्री काना, जाति जाट, नि0 माधेपुरा पत्नि नानूराम, हाल निवासी पातुड़ी, तह0 दूदू, जिला जयपुर ।
2. सायर देवी पुत्री काना, जाति जाट, निवासी माधोपुरा पत्नि रघुनाथ, जाति पातुड़ी, तह0 दूदू, जिला जयपुर ।
3. लाड़ा देवी पुत्री काना, जाति जाट, निवासी माधोपुरा, पत्नि हनुमान, जाति जाट, नि0 पातूड़ी, तह0 दूदू, जिला जयुपर ।

अपीलांटस

बनाम

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र केशरीचन्द, जाति जैन, नि0 15, युधिष्ठर मार्ग, सी—स्कीम, जयपुर ।
2. राजकुमार पुत्र भंवरलाल, जाति जैन, (मृतक) नाम तर्क
3. श्योराम पुत्र रंगलाल, जाति जाट, नि0 दांतरी, तह0 दूदू, जिला जयपुर।
4. भोली देवी पत्नि कानाराम, जाति जाट, नि0 दांतरी, तह0 दूदू, जिला जयपुर ।
5. रतनी देवी पत्नि रामेश्वर, जाति रैगर, निवासी माधोपुरा, तह0 दूदू, जिला जयपुर ।
6. ऋतु चौधरी पत्नि नरेन्द्र कुमार चौधरी, जाति जैन, नि0 युधिष्ठर मार्ग, सी—स्कीम, जयपुर ।
7. रमेश बाहेती पुत्र रामेश्वर प्रसाद बाहेती, जाति माहेश्वरी महाजन, निवासी 2/88, हाऊसिंग बोर्ड, मदनगंज—किशनगढ़, जिला अजमेर ।
8. किशनी देवी पत्नि कानाराम, जाति जाट, नि0 माधोपुरा, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
9. उप पंजीयक, उप पंजीयन विभाग, दूदू, जिला जयपुर ।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दूदू, जिला जयपुर ।
11. श्रीमती ऋुति औदिच्य पत्नि अभय औदिच्य, नि0 एस—3, सैकण्ड फ्लोर, प्लॉट नं0 45, इन्द्रप्रस्थ रेजिडेंसी, नन्दपुरी सोडा, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू दिनांक 28.4.2015 अंतर्गत वाद संख्या 350/2013.

उपस्थितः—

1. श्री सुण्डाराम जाट, वकील अपीलांटस ।
2. श्री दीपक पारीक, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .
3. श्री महेन्द्र सिंह, वकील रेस्पो0 संख्या 7.
4. रेस्पो0 संख्या 3 से 6 व 8 अनुपस्थित ।
5. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 9 व 10.

निर्णय

दिनांकः— 13.9.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.4.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस/वादीगण ने अधी0न्याया0 में वाद बाबत् घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद में वर्णित आराजियात ग्राम माधोपुरा, तह0 दूदू बाबत् पेश कर निवेदन किया कि वादवर्णित आराजियात में वादी संख्या 1 से 3 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 8 का 1/4 हिस्सा निहित है । वादीगण उक्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार है । उक्त भूमियां पूर्व में वादीगण के पूर्वजों के नाम रही है जिनके कोई जायन्दा संतान नहीं होने के कारण विवादित आराजियात साबिक खसरा नंबरान के साथ संपूर्ण वादीगण के पिता काना के नाम दर्ज होनी चाहिये थी लेकिन राजस्व अधिकारियों की गलती के कारण विरासत का नामांतकरण गलती से अकेले प्रतिवादी संख्या 8 के नाम दर्ज कर दिया गया जबकि वादीगण संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 की धारा 8 के अनुसार वादग्रस्त भूमि वादीगण के नाम संयुक्त रूप से दज होनी चाहिये थी । प्रतिवादी संख्या 8 त्रुटिपूर्ण इंद्राज के आधार पर विवादित आराजियात को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को विक्रय कर दिया जो तथाकथित बेचान वादीगण के हिस्से तक प्रारंभ से प्रभाव शून्य, बातिल व बेअसर है । इसी प्रकार वादीगण की ग्राम माधोपुरा में स्थित अन्य भूमि खाता संख्या 152 खसरा संख्या 151 रकबा 0.6300 है0 एवं खसरा संख्या 152 रकबा 1.2700 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.900 है0 भूमि का नामांतकरण वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 8 का समान हिस्से के अनुसार भरा गया है जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में भी अविवादित चला आ रहा है। इसके पश्चात् प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा भिन्न—भिन्न विक्रय पत्रों के आधार पर विवादित आरायिजात को प्रतिवादी संख्या 3 से 7 के हक में तथाकथित रूप से बैचान कर दिया गया है । जब प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में निष्पादित विक्रय वादीगण के हक हिस्से एवं अधिकार तक प्रारंभ से शून्य है तो ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा जो पश्चात्वर्ती बैचान प्रतिवादी संख्या 3 से 7 के पक्ष में किया गया है वे बैचान भी वादीगण के हक हिस्से तक प्रारंभ से अवैध एवं शून्य है । वाद में आगे निवेदन किया कि वादीगण अब तक संयुक्त रूप से स्वंय के 3/4 हिस्से पर काबिज काश्त चली आ रही है । अतः वाद वादीगण स्वीकार कर प्रतिवादीगण के वरूिद्ध घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा की आज्ञाप्ति पारित की जावे । अधी0न्याया0 ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अधी0न्याया0 में उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया । दिनांक 25.6.2014 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11—डी जा0दी0 पेश किया जिसका वादीगण ने जवाब पेश किया। अधी0न्याया0 ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर निर्णय दिनांक 28.4.2015 द्वारा वादीगण/अपीलांटस का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेंटस के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण विधिक बिन्दू को नजरअदांज किया है कि वादीगण द्वारा

जो वाद पूर्व में अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत किया गया था उस वाद के पक्षकार एवं वर्तमान वाद के पक्षकार पूर्णतया भिन्न है । वादीगण द्वारा पूर्व में प्रस्तुत वाद में तथाकथित गोदनामे को चुनौती देते हुए वाद पेश किया गया था जिसे अधी0न्याया0 ने गोदनामा निरस्त किये जाने से संबंधित अनुतोष के संबंध में सिविल न्यायालय का क्षैत्राधिकार मानते हुए वादीगण का वाद निरस्त किया था जबकि वादीगण के वर्तमान वाद में कहीं भी तथाकथित गोदनामें का उल्लेख नहीं किया गया है तथा न ही गोदनामे के संबंध में कोई अनुतोष ही चाहा गया है । पूर्ववर्ती वाद एवं वर्तमान में पक्षकार भी भिन्न भिन्न है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादीगण का वाद निरस्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने तथ्यों एवं विधि के मिश्रित प्रश्नों को सरसरी तौर पर निर्णित कर गंभीर त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में कहीं पर भी स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया है कि वादीगण का वाद विधि के किन प्रावधानों से वर्जित होने के कारण पोषणीय नहीं है । प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थना पत्र में जिन तथ्यों का उल्लेख किया है वे समस्त तथ्य विवाद बिन्दु बनाकर समस्त पक्षकारों की साक्ष्य पूर्ण किये जाने के बाद गुणावगु1ण पर ही निर्णित किये जा सकते है । वादग्रस्त भूमि में वादीगण का जन्म से हक हिस्सा व अधिकार है । वादीगण के बहुमूल्य अधिकार इस वाद में तय होने थे इसके बावजूद विद्वान अधी0न्याया0 ने सरसरी तौर पर निर्णतय पारित कर गंभीर त्रुटि कारित की है । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण को पर्याप्त अवसर प्राप्त नहीं हुआ जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने विवादित आराजियात जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र के खातेदार प्रतिवादी संख्या 7 से क्रय की थी तथा उक्त पंजीबद्ध विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका है । अपीलांटस ने वाद के माध्यम से उक्त पंजीबद्ध विक्रय पत्रों को अवैध एवं शून्य घोषित करने का अनुतोष चाहा है जबकि पंजीबद्ध विक्रय पत्र को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को । इस कारण वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होकर राजस्व न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नहीं है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे कथन किया कि वादीगण द्वारा विवादित आराजियात बाबत् पूर्व में राजस्व वाद पेश किया था जिसे वादीगण ने राजीनामे के आधार पर खारिज करवा लिया था । अब पुनः उन्हीं वादकारणों को दोहराते हुए यह नवीन वाद पेश किया है जो रेसज्यूडिकेटा के सिद्धांत से बाधित होने के कारण संधारण योग्य नहीं है । विद्वान अधी0न्याया0 ने इन सभी विधिक तथ्यों को ध्यान में रखकर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादीगण/अपीलांटस का वाद खारिज किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण/अपीलांटस ने रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने विवादित आराजियात खातेदार काश्तकार रेस्पो0 संख्या 7 से जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र के क्रय की है तथा उक्त विक्रय पत्र की पालना में रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के नाम अमल दरामद भी हो चुका है । वादीगण/अपीलांटस ने वाद के माध्यम से रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पक्ष में निष्पादित पंजीबद्ध विक्रय पत्रों को अवैध एवं शून्य घोषित कराने का

अनुतोष चाहा है । विधि अनुसार पंजीबद्ध विक्रय पत्र को निरस्त करने का क्षैत्राधिकार सिविल न्यायालय को न कि राजस्व न्यायालय को । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विवादित आरायिजात बाबत् वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष पूर्व में भी राजस्व वाद पेश किया था जिसे वादीगण/अपीलांटस ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष राजीनामे के आधार पर वाद को विड्रो कर लिया है । अब पुनः इन्हीं आराजियात बाबत् वादीगण/अपीलांटस ने यह पश्चात्वर्ती नवीन वाद पेश किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन कर रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11–डी सपठित धारा 151 जा0दी0 स्वीकार कर वादीगण/अपीलांटस का वाद खारिज किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.4.2015 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 13.9.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर